



2026:AHC:18240

न्यायालय संख्या - 66

अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 31065 वर्ष 2025

आवेदक :- नेहा

विपक्षी :- उत्तर प्रदेश राज्य

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : विनय कुमार त्रिपाठी

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : जी.ए., पंकज शर्मा

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है। शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हैं।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय कुमार त्रिपाठी एवं राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री राम मोहित यादव को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, विचारण लंबित रहने के दौरान, थाना - हाईवे, जनपद - मथुरा के अंतर्गत पंजीकृत अपराध संख्या 1110 वर्ष 2024, धारा 103(1), 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में जमानत की प्रार्थना कर रही है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त पवन कुमार सिसौदिया को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ही आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 21403 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 23.08.2025 के माध्यम से जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक के विरुद्ध दर्शाए गए आपराधिक इतिहास को स्पष्ट कर दिया गया है। आवेदक दिनांक 25.11.2024 से कारागार में निरुद्ध है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि आवेदक की भूमिका उक्त सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत दी जा चुकी है, इसलिए वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने की हकदार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।
5. विद्वान ए.जी.ए. द्वारा जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया गया है। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समानता के उक्त तथ्यात्मक पहलू पर उनके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।
6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 SCC 648** में यह प्रेक्षण किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना स्वतः ही जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता, यदि अन्यथा जमानत के लिए उसका मामला बनता हो।
7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों, लंबित विचारण पर विचार करते हुए तथा इस न्यायालय द्वारा **नन्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938** में पारित निर्णय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पारस राम विश्रोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो,**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



MANU/SCOR/22410/2021 तथा **सर्तेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, 2022 SCC OnLine SC 825** में पारित निर्णयों के आलोक में, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने समानता के आधार पर जमानत का मामला बनाया है। समानता के आधार पर जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **नेहा** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं बनाएगी/उन्हें डराएगी नहीं।

(iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने के संबंध में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

दिनांक : 27 जनवरी 2026

(रवि कांत)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल,)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।